

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

~~784~~ 784

आ0सं0-13/स्था0-02-34/2025/

पटना/दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के पत्रांक 3630 दिनांक 23.09.2025 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री सतीश कुमार रजक, नवनियुक्त कनीय अभियंता (असै0), समेकित सीरीयल नं0 6370, घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल को उनके प्रथम संतान के जन्म के फलस्वरूप दिनांक 16.06.2025 से 30.06.2025 कुल-15 (पन्द्रह) दिनों तक का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति वित्त विभाग के पत्रांक-9889 दिनांक 01.12.2015 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाता है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश की प्रविष्टि HRMS Portal एवं सेवापुस्त में कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -


प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के पत्रांक 3630 दिनांक 23.09.2025 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, रक्सौल/कार्यपालक अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल/सतीश कुमार रजक, कनीय अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 784

पटना/दिनांक - 9/7/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।